वेबसाईट : www.abvp.org
पंजिकृत क्रमांक : S-385/1949-50

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद

केंद्रीय कार्यालय– 3, मार्बल आर्च, सेनापती बापट मार्ग, माटुंगा रोड (प.रे.), माहिम, मुंबई - 400016.
दूरभाष :(022) 24306321 / 24378866 फैक्स :24313938 ई–मेल : abvpkendra@gmail.com

दिनांक: 15 मार्च 2022

-: प्रेस विज्ञप्ति :-

कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा हिजाब मामले में लिया गया निर्णय स्वागतयोग्य: अभाविप

शिक्षण संस्थानों में सभी के लिए समान गणवेश को बढ़ावा देना आवश्यक

कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा शिक्षण संस्थानों में हिज़ाब समेत गणवेश के अतिरिक्त पहने जाने वाले किसी भी पंथ सूचक वस्त्र पर प्रतिबंध लगाने के निर्णय का अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद स्वागत करती है। मामले पर उच्च-न्यायलय द्वारा लंबे समय तक सुनवाई करने तथा सभी पक्षों की दलीलों पर आवश्यक विचार करने के बाद यह निर्णय लिया गया है। अभाविप का मत है कि शिक्षण संस्थानों में सभी के लिए समान गणवेश को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।

न्यायालय में सुनवाई के दौरान यह स्पष्ट हुआ कि मुस्लिम महिलाओं द्वारा हिजाब पहनना इस्लाम पंथ में आवश्यक नहीं कहा गया है तथा विद्यालय परिसर में एक निश्चित गणवेश में आने का आदेश आवश्यक है जिसके विरुद्ध छात्र कोई आपत्ति नहीं जता सकते।

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की राष्ट्रीय महामंत्री सुश्री निधि त्रिपाठी ने कहा की, "शिक्षा मनुष्य को उत्थान की ओर अग्रसर करने का माध्यम है। इसके लिए आवश्यक है कि शिक्षण संस्थानों को रूढ़िवादी मान्यताओं से दूर रखा जाए और छात्र-छात्राएं स्वयं भी पंथ सूचक कार्य छोड़कर समावेशी शैक्षिक वातावरण को सशक्त करने में सहयोग दें।"

(यह प्रेस विज्ञप्ति केंद्रीय कार्यालय मंत्री सुमित पाण्डेय द्वारा जारी की गई है।)